



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22921

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 422/2026

श्रीमती खैरुलनिशा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 17 अन्य

.....प्रत्यार्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कृपा शंकर यादव, मनीष देव

प्रत्यार्थीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. यह तर्क दिया गया है कि उप संचालक चकबंदी ने वर्तमान याचिकाकर्ता (चक धारक संख्या 91) को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना एकपक्षीय आदेश दिनांक 26.07.2025 पारित कर दिया है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए पुनःस्थापन प्रार्थना पत्र को एक अन्य व्यक्ति महरुल हसन पुत्र सुक्खा द्वारा दायर किए गए अन्य पुनःस्थापन प्रार्थना पत्र के गुण-दोषों पर विचार करते हुए खारिज कर दिया गया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि उप संचालक चकबंदी ने चकबंदी अधिकारी और बंटोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा दिए गए निष्कर्षों को उलटे बिना ही याचिकाकर्ता को उसकी मूल जोत यानी गाटा संख्या 233 मिन. से विस्थापित कर दिया है।
2. मामला विचारणीय है।
3. प्रत्यार्थी संख्या 1 से 2 का प्रतिनिधित्व विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा किया गया है।
4. प्रत्यार्थी संख्या 3 से 18 को दिनांक 31.03.2026 की तिथि निर्धारित करते हुए नोटिस जारी करें।
5. इस बोच, दोनों पक्ष अपने-अपने शपथ पत्र, यदि कोई हों, साझा करेंगे।
6. सूचीबद्ध होने की अगली तिथि तक, पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्तमान याचिकाकर्ता के गाटा संख्या 233 मिन. की प्रकृति और कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखें।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

3 फरवरी, 2026

वी.आर.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"